न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 38/2023
अनवान : –

1. कान्ता पुत्री श्योचन्द पत्नी रामनिवास जाति जाट साकिन डुमासर तहसील नोहर हाल धीरवास बड़ा तहसील तारानगर जिला चुरू।

–प्रार्थीया

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **प्रार्थी**
राजपेरोकार

निर्णय **दिनांक:** 08/4/24

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा कर्मशाना तहसील नोहर के खाता संख्या 39/28 की कुल 12.1280 हैक्ट भूमि में से 4715/84896 एवं रोही मौजा बास नाथेवाला के खाता सं0 130/115 की कुल 21.5420 हैक्ट भूमि में से 11161/301336 हिस्सा भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

प्रार्थीया ने अपने पूर्व पति मोहनलाल के साथ न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश नोहर स0 1 के यहा से बअनवानी प्रकरण कान्ता बनाम मोहनलाल प्रकरण संख्या 10/2015 निर्णय डिक्री दिनांक 24.05.2019 को तलाक ले लिया तथा मोहनलाल के साथ प्रार्थीया का कोई रिस्ता नही रहा है प्रार्थी ने द्वितीय शादी रामनिवास पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी धीरवास बड़ा तहसील तारानगर जिला चुरू से कर ली। प्रार्थीया राजस्व रिकार्ड रोही मौजा कर्मशाना तहसील नोहर के खाता स0 39/28 व रोही मौजा बास नाथोवाला के खाता स0 130/115 में अपने पति का नाम मोहनलाल कलमजन करवाकर उसके स्थान पर रामनिवास दर्ज करवा पाने की अधिकारीणी है तथा सकूनत डुमासर के स्थान पर धीरवास बड़ा तहसील तारानगर दर्ज करवा पाने की अधिकारी है।

राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम व सकूनत गलत दर्ज होने से प्रार्थीया को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तथा प्रार्थीया अपने खातेदारी का सही उपयोग व उपभोग नही कर पा रही है। इसलिए राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया के पति व सकूनत सही दर्ज की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.16 17:02:14 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को ... कि प्रार्थीया के पति का नाम व सकूनत राजस्व रिकार्ड में सही दर्ज कर देवे जिससे ...र्थी का कोई हिस्सा ... अथवा ज्यादा

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

नही होना केवल नाम ही सशोधित होना है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 कुछ दिन तो आजकल करते रहे अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

बहस वकील प्रार्थीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया के पति का नाम मोहनलाल व सकूनत डुमासर तहसील नोहर है जबकि प्रार्थीया ने अपने पूर्व पति मोहनलाल के साथ न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश नोहर स0 1 के यहा से बअनवानी प्रकरण कान्ता बनाम मोहनलाल प्रकरण संख्या 10/2015 निर्णय डिक्री दिनांक 24.05.2019 को तलाक ले लिया तथा मोहनलाल के साथ प्रार्थीया का कोई रिस्ता नही रहा है प्रार्थी ने द्वितीय शादी रामनिवास पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी धीरवास बड़ा तहसील तारानगर जिला चुरू से कर ली। इसलिए प्रार्थीया राजस्व रिकार्ड रोही मौजा कर्मशाना तहसील नोहर के खाता स0 39/28 व रोही मौजा बास नाथोवाला के खाता स0 130/115 में अपने पति का नाम मोहनलाल कलमजन करवाकर उसके स्थान पर रामनिवास तथा सकूनत डुमासर के स्थान पर धीरवास बड़ा तहसील तारानगर दर्ज करवाना चाहती है।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा कर्मशाना तहसील नोहर के खाता संख्या 39/28 की कुल 12.1280 हैक्ट भूमि में से 4715/84896 एवं रोही मौजा बास नाथेवाला के खाता सं0 130/115 की कुल 21.5420 हैक्ट भूमि में से 11161/301336 हिस्सा भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रार्थीया के पति का नाम मोहनलाल व सकूनत डुमासर तहसील नोहर दर्ज है। प्रार्थीया ने अपर जिला न्यायाधीश नोहर स0 1 के यहा से बअनवानी प्रकरण कान्ता बनाम मोहनलाल प्रकरण संख्या 10/2015 निर्णय डिक्री दिनांक 24.05.2019 की प्रति पेश की है जिसके मुताबिक कान्ता का मोहनलाल से तलाक हो चुका है तथा प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में भी प्रार्थीया के पति का नाम रामनिवास व पता धीरवास बड़ा तहसील तारानगर अंकित है।

अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा कर्मशाना तहसील नोहर के खाता संख्या 39/28 की कुल 12.1280 हैक्ट भूमि में से 4715/84896 एवं रोही मौजा बास नाथेवाला के खाता सं0 130/115 की कुल 21.5420 हैक्ट भूमि में से 11161/301336 हिस्सा भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रार्थीया का नाम **कान्ता पुत्री श्योचन्द पत्नी मोहनलाल के स्थान पर कान्ता पुत्री श्योचन्द पत्नी रामनिवास व पता डुमासर तहसील नोहर के स्थान पर धीरवास बड़ा तहसील तारानगर का संशोधन किया जाकर**

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.16 17:02:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच प्रार्थीया के नाम कान्ता पुत्री श्योचन्द पत्नी मोहनलाल पता डुमासर से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का कान्ता पुत्री श्योचन्द पत्नी मोहनलाल पता डुमासर के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थीया का नाम कान्ता पुत्री श्योचन्द पत्नी मोहनलाल एवं पता डुमासर ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थीया स्वयं जिम्मेदार होगी। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 08/04/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों ।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.16 17:02:14 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नोहर

पीठासीन अधिकारी : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

क्रमांक : रीडर / सशोधन / 2024 / 353

दिनांक : 09/04/2024

तहसीलदार,

नोहर।

विषय :– प्रकरण स0 38 / 2023 अनवानी कान्ता आदि बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के संबंध में।

प्रकरण संख्या – 38 / 2023

अनवान : –

1. कान्ता पुत्री श्योचन्द पत्नी रामनिवास जाति जाट साकिन डुमासर तहसील नोहर हाल धीरवास बड़ा तहसील तारानगर जिला चुरू।

–प्रार्थीया

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा कर्मशाना तहसील नोहर के खाता संख्या 39 / 28 की कुल 12.1280 हैक्ट भूमि में से 4715 / 84896 एवं रोही मौजा बास नाथेवाला के खाता सं0 130 / 115 की कुल 21.5420 हैक्ट भूमि में से 11161 / 301336 हिस्सा भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रार्थीया का नाम **कान्ता पुत्री श्योचन्द पत्नी मोहनलाल के स्थान पर कान्ता पुत्री श्योचन्द पत्नी रामनिवास व पता डुमासर तहसील नोहर के स्थान पर धीरवास बड़ा तहसील तारानगर का संशोधन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच प्रार्थीया के नाम कान्ता पुत्री श्योचन्द पत्नी मोहनलाल पता डुमासर से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का कान्ता पुत्री श्योचन्द पत्नी मोहनलाल पता डुमासर के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थीया का नाम कान्ता पुत्री श्योचन्द पत्नी मोहनलाल एवं पता डुमासर ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थीया स्वयं जिम्मेदार होगी। यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.16 17:02:14 IST
Reason: SelfAttested